पंचायत सचिव महासंघ की बैठक दिनांक 11.08.2016 समय प्रातः 11.00 बजे श्री आर सेलवम, निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हि0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में जिन सदस्यों ने भाग लिया का विवरण निम्न प्रकार से है:

सर्वप्रथम निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हि0प्र0 ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ की।

बैठक में उपस्थित सदस्यों का नाम व पदनाम सहित विवरणः

1. श्री सचिन कंवल, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग
2. श्री भूपेन्द्र कुमार अत्री, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग
3. श्री केवल शर्मा, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग
4. श्री एन.डी.शर्मा, अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग
5. श्री दौलत राम, वरिष्ठ सहायक ग्रामीण विकास विभाग
6. श्रीमति विजय महाजन, वरिष्ठ सहायक ग्रामीण विकास विभाग
7. श्री बी0के0शर्मा, वरिष्ठ सहायक ग्रामीण विकास विभाग
8. श्री ध्रुव सिंह भूरिया, पंचायत सचिव विकास खण्ड भवारना
9. श्री चन्द्रमणी ठाकुर, पंचायत सचिव विकास खण्ड कुनिहार
10. श्री सुरेश कुमार शर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, भटियात
11. श्री परस राम ठाकुर, पंचायत सचिव विकास खण्ड, कुनिहार
12. श्री अजय सिंह, पंचायत सचिव विकास खण्ड, पंचरूखी
13. श्री सरवन कुमार, पंचायत सचिव विकास खण्ड, पंचरूखी
14. श्री लीलाधर चौहान, पंचायत सचिव विकास खण्ड, बसन्तपुर
15. श्री इन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, बसन्तपुर
16. श्री राजेश शर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, धर्मपुर
17. श्री शर्मा चन्द, पंचायत सचिव विकास खण्ड, धर्मपुर
18. श्री राम स्वरूप वर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, धर्मपुर
19. श्री पूर्ण सिंह ठाकुर, पंचायत सचिव विकास खण्ड, चौंतडा
20. श्री नीरज गुप्ता, पंचायत सचिव विकास खण्ड, सदर मण्डी
21. श्री प्रंशात सैंनी, पंचायत सचिव विकास खण्ड, सदर मण्डी
22. श्री गुरी सिंह, पंचायत सचिव विकास खण्ड, चौंतडा
23. श्री विनोद शर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, बसन्तपुर
24. श्री पवन ठाकुर, पंचायत सचिव विकास खण्ड, धर्मपुर
25. श्री पवन शर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, कुनिहार
26. श्री बालक राम, पंचायत सचिव विकास खण्ड, कुनिहार
27. श्री सतीश कुमार, पंचायत सचिव विकास खण्ड, भवारना
28. श्री दीप कुमार, पंचायत सचिव विकास खण्ड, भवारना
29. श्री सुशील कुमार, पंचायत सचिव विकास खण्ड, भवारना
30. श्री हरमेश ठाकुर, पंचायत सचिव विकास खण्ड, नाहन
31. श्री रवि प्रकाश जोशी, पंचायत सचिव विकास खण्ड, पावंटा
32. श्री रणवीर सिंह, पंचायत सचिव विकास खण्ड, जुब्बल
33. श्री राम लाल, पंचायत सचिव विकास खण्ड, सोलन
34. श्रीमति सुनीला शर्मा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, सोलन
35. श्रीमति मंजुला कंवर, पंचायत सचिव विकास खण्ड, सोलन
36. श्री किशोरी लाल जसवाल, पंचायत सचिव विकास खण्ड, भटियात
37. श्री अनिल डोगरा, पंचायत सचिव विकास खण्ड, नादौन

मद संख्या:1 **पंचायत सचिवों की पदोन्नति बारे समय पर डीपीसी करने बारेः**

इस बारे संघ को अवगत करवाया गया कि पंचायत सचिवों की श्रेणी से विभिन्न पदो पर पदोन्नति हेतू वरिष्ठता अनुसार पात्र कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त हो गए हैं, परन्तु पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति हेंतू वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध न होने के कारण डीपीसी का मामला लम्बित है। निदेशक महोदय ने पंचायत सचिवों के आग्रह पर जिन कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण नहीं है उन्हे एक बार छूट देते हुए कार्य कुशलता प्रमाण पत्र व सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के आधार पर सितम्बर, 2016 तक पदोन्नत करने का आश्वासन दिया।

मद संख्या:2 **पंचायत सचिवों की श्रेणी की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट समय पर न भेज कर उनसे भेदभाव करने बारेः**

इस मामले में गहन/विस्तारपूर्वक चर्चा की गई व तदोपरान्त निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिव महासघं को आश्वस्त किया कि इस बारे समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

मद संख्या:3 **पंचायत सचिवों से 100% SE&BPO के पदों की पदोन्नति करने सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूप से भर्ती न करने बारे।**

विभाग में एसईबीपीओ के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरने व एनआरएलएम प्रोजेक्ट में प्रत्येक विकास खण्ड में लगाने के लिए पंचायत सचिव महांसंघ ने आग्रह किया पर निदेशक महोदय ने उक्त मामले पर परीक्षण करने उपरान्त ही कोई निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

मद संख्या:4 **समय पर (field) कर्मचारियों सचिवों की ACR न भेजने व भेदभाव :–**

इस मामले में गहन/विस्तारपूर्वक चर्चा की गई व तदोपरान्त निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिव महासघं को आश्वस्त किया कि इस बारे समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

मद संख्या:5 **प्रगति सहायक का कोटा पंचायत सचिवों से 65% से बढाकर 80% करने बारेः**

प्रगति सहायक का कोटा पंचायत सचिवों से 65% से बढाकर 80% करने बारे पंचायत सचिव महांसंघ ने निदेशक महोदय से आग्रह किया जिसपर निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिव महांसघ एवं ग्रामीण विकास विभाग लिपिकीय संघ को आपस में विचार विर्मश करने का परामर्श दिया।

मद संख्या :6 **वर्ष 2002 में पंचायत सचिवों के स्थाईकरण बारे चर्चाः**

पंचायत सचिव महासंघ ने वर्ष 2002 से पंचायत सचिवों के स्थाईकरण न होने से उनके स्थाईकरण हेतू अनुरोध किया गया जिस पर निदेशक महोदय ने समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हि0प्र0 को अर्ध0शा0 पत्र से स्थाईकरण करने बारे लिखने हेतू अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए।

मद संख्या:7 **पंचायत सचिवों से सहकारिता विभाग में निरीक्षक सहकारिता का कोटा बढाने बारे (इस समय 300 पद निरीक्षक सहकारिता के विभाग में खाली हैं जिसमें सरकार द्वारा कैविनैट में 180 पदों की मंजूरी दी है फिर भी 120 पद खाली रहेगें एक समय छूट देने से 120 पदों को पंचायत सचिवों से पदोन्नति करने बारे)**

पंचायत सचिव महासंघ ने सहकारिता निरीक्षक के जो 120 पद खाली पडे हैं को एक समय छूट देकर भरने बारे आग्रह किया परन्तु सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पंचायत सचिव श्रेणी को 10% की दर से 54 पद जाते हैं वह पहले ही भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि निरीक्षक सहकारिता के 58 पद लिपिक तथा 5 पद आशुटंकक के रिक्त पडे हैं तथा इन पदो के विरूद्व विभाग सम्बन्धित श्रेणी के संघ की सहमति के बिना नहीं विचारा जा सकता है। अतः निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिव महासंघ एवं सहकारिता विभाग लिपिकीय संघ को आपस में विचार विमर्श करने का परामर्श दिया।

मद संख्या:8 **पंचायत सचिवों से (वरिष्ठ सहायक लेखापाल) रिक्त पदों को कोटा देने सम्बन्धी।**

इस मामले में गहन चर्चा की गई। तदानुसार निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिव महासघं को ग्रामीण विकास विभाग लिपिकीय महासंघ के साथ विचार विमर्श करने का परामर्श दिया गया।

मद संख्या:9 **वर्ष 2002 में लगे पंचायत सचिवों का GPF व CPF दोगली नीति बारे चर्चा:**

इस मामले में गहन चर्चा की व तदानुसार वस्तुस्थिति से पंचायत सचिव महासंघ को अवगत करवाया गया कि जीपीएफ एवं सीपीएफ से सम्बन्धित मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है व उस पर निर्णय आन के उपरान्त ही इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

मद संख्या:10 **प्रत्येक पंचायत में कम्पयुटर आपरेटर नियुक्त करने या GRS को अतिरिक्त पंचायत सम्बन्धी कम्पयुटर का कार्य करने सम्बन्धी चर्चा।**

पंचायत सचिव महासंघ ने निदेशक महोदय के ध्यान में लाया कि ग्राम पंचायतों में कार्य की अधिकता होने के कारण प्रत्येक पंचायत में कम्पयुटर आपरेटर नियुक्त किया जाए या ग्राम रोजगार सेवक को कम्पयुटर का अतिरिक्त कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाए परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उक्त मद पर सहमति नहीं दी।

मद संख्या:11 **ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों को CPS बनाने सम्बन्धी चर्चा:**

पंचायत सचिव महासंघ ने निदेशक महोदय से अनुरोध किया कि पांच–पांच पंचायतों पर निरीक्षक के पद स्वीकृत किए जाएं जिस पर गहन चर्चा की गई व तदानुसार निदेशक महोदय ने मामले पर परीक्षण करने का आश्वासन दिया। पंचायत सचिव महासंघ को विस्तृत प्रस्तावना प्रस्तुत करने बारे निर्देश दिये ताकि मामले पर तदानुसार विचार किया जा सके।

मद संख्या:12 **SE&BPO से 11 No. BDO का पद भरने बारे:**

इस बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई व तदानुसार पंचायत सचिव महासंघ को अवगत करवाया गया कि SE&BPO से BDO के पद पर पदोन्नति के मामले में प्रकिया जारी है।

मद संख्या:13 **प्रोत्साहन योजना बारे चर्चा:**

इस मद पर चर्चा की गई व तदानुसार महासंघ को अवगत करवाया गया कि पंचायत सचिव प्रोत्साहन योजना जो पंचायत सचिवों को लाभ देने बारे चलाई हुई है का विभाग द्वारा संशोधन किया जा रहा है जो कि सितम्बर, 2016 तक पूर्ण करने तथा उक्त योजना के अर्न्तगत पंचायती राज विभाग के अर्न्तगत पंचायत सचिव/पंचायत सचिव(अनु0)/सहायकों को वर्ष 2016 से सम्मिलित करने बारे निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया।

मद संख्या:14 **वार्षिक गोपनीय रिर्पोट न होने की दशा में कार्य कुशलता प्रमाण पत्र से विभाग द्वारा समस्त पदों पर डी0पी0सी0 करने बारेः**

इस मद पर गहन चर्चा की गई व तदानुसार निदेशक महोदय ने पंचायत सचिव महासंघ को आश्वासन दिया कि जिन पंचायत सचिवों की पदोन्नति हेंतू वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध नही है उनकी पदोन्नति करने के लिए एक बार छूट देते हुए कार्य कुशलता प्रमाण पत्र व सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के आधार पर सितम्बर, 2016 तक पदोन्नत करने का आश्वासन दिया।

मद संख्या:15 **अंकेक्षण वसूली सम्बन्धी चर्चा 1990 से पहले वसूली सभापति व अधिक राशि व्यय होने से न वसूली हो।**

पंचायत सचिव महासंघ ने निदेशक महोदय के ध्यान में लाया कि ग्राम पंचायतों में वर्ष 1990 से पहले कुछ ऐसे अंकेक्षण मामले हैं जो कि कई पंचायत प्रधान/पंचायत सचिवों की मृत्यु हो गई है और अकेक्षण मामले लम्बित चले हुए हैं। अतः उन्हें समायोजित किया जाए। इस बारे विचार विर्मश उपरान्त निदेशक महोदय ने निर्देश दिए कि सम्पूर्ण मामला अग्रिम कार्यवाही हेतू पंचायती राज विभाग को भिजवाएं।

मद संख्या:16 **मनरेगा की रोकड बही न भरने सम्बन्धी चर्चा।**

पंचायत सचिव महासंघ ने निदेशक महोदय के ध्यान में लाया कि मनरेगा का लेखा जोखा "on line" होता है और उसका रख रखाव ग्राम रोजगार सेबक द्वारा विकास खण्ड में ही किया जाता है अतः मनरेगा की रोकड बही भी ग्राम रोजगार सेबक को लिखने हेतू निर्देशित किया जाए। निदेशक महोदय ने चर्चा उपरान्त उक्त मामले में परीक्षण करने का आश्वासन दिया।

मद संख्या:17 **पंचायत उप निरीक्षक Grade Pay सम्बन्धी चर्चा व वेतन विसंगतिः**

पंचायत सचिव महासंघ ने निदेशक महोदय के ध्यान में लाया कि पंचायत उप निरीक्षक की Grade Pay पंचायत सचिव के ही बराबर है अतः उक्त में संशोधन किया जाए। उक्त बारे संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग ने अवगत करवाया किया कि इस बारे मामला वित्त विभाग से उठाया गया था जो कि वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया है। तथा वर्तमान में उक्त श्रेणी का ग्रेड पे स्म्बन्धी मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

मद संख्या:18 **प्रत्येक विकास खण्ड में पंचायत निरीक्षक के दो पद करने बारे।**

इस मामले में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई व तदानुसार मामले को वित्त विभाग से उठाने का आश्वासन दिया गया।

अतिरिक्त मांगेः

मद संख्या:1 **प्रोत्साहन योजना में सहायकों को न जोडने बारेः**

इस मद पर चर्चा की गई व तदानुसार महासंघ को अवगत करवाया गया कि पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायकों की कार्य प्रणाली एक जैसी/समरूप होने के कारण इन्हें भी प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाना उचित है जिस बारे प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया जा रहा है।

मद संख्या:2 **आपसी स्थानान्तरण सम्बन्धित कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना न किया जाएः**

इस मामले में चर्चा की गई व तदानुसार निदेशक महोदय द्वारा मामले में सहमति दी गई।

मद संख्या:3 **पंचायत सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) की स्थापना ग्रामीण विकास विभाग में ही रखने बारेः**

इस मामले में गहन चर्चा की गई व तदानुसार निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिवों की स्थापना को ग्रामीण विकास विभाग में ही रखने का आश्वासन दिया गया।

मद संख्या:4 **डी0पी0सी0 करने के लिए वार्षिक गोपनीय रिर्पोट उपलब्ध न होने पर work & conduct certificate से करने बारेः**

उक्त बारे मद संख्या 14 पर चर्चा की जा चुकी है।

मद संख्याः 5 **ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त स्वीकृत पंचायत सचिवों के पद भरने बारे ताकि कैडर alive रहे इन पदों को जिला परिषद के सहायकों से भरा जाएः**

इस मामले में गहन चर्चा की गई व तदानुसार निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सचिवो के रिक्त पदो को पंचायती राज विभाग में कार्यरत पंचायत सचिवों से भरने बारे अवलोकन करने का आश्वासन दिया।

मद संख्या:6 **जहां नए विकास खण्ड खोले गए हैं वहॉ पर पचायत उप निरिक्षक के पदों को सृजित करना।**

इस मामले में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई व तदानुसार मामले को वित्त विभाग से उठाने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का बैठक में भाग लेने हेतू निदेशक महोदय ने आभार व्यक्त किया। अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

आदेश द्वारा
निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग,
हि0प्र0 शिमला–09

पृष्ठांकनःआरडीडी–11–बी(15) 4/2015..... 6588-6707 दिनाक–शिमला–9 16 अगस्त 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. समस्त उपायुक्त हि0प्र0
2. संयुक्त निदेशक–1, ग्रामीण विकास विभाग हि0प्र0
3. संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0
4. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हि0प्र0
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हि0पग0
6. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हि0प्र0
7. श्री ध्रुब सिंह भूरिया प्रद्रेशाध्यक्ष, पंचायत सचिव महांसध द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, भवारना जिलाकांगडा हि0प्र0
8. श्री चन्द्रमणी ठाकुर, महासचिव, पंचायत सचिव महांसध द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार जिला सोलन हि0प्र0
9. अधीक्षक सी0डी0।।/।।। राज्य मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग हि0पग0

(भूपेन्द्र कुमार अत्री)
संयुक्त निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग,
हि0प्र0 शिमला–09